कैम्प कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या–267 दिनांकः 29 जुलाई, 2020

आदेश

प्रशासनिक आदेश सं0 263 दिनांकित 29.07.2020 के तारतम्य मे यह आदेश पारित किया जाता है कि Virtual Court वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण उनके नाम के आगे आवंटित Time Slot मे अपने आवास के कार्यालय मे बैठकर निम्नलिखित न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे–

1. लम्बित / नए जमानत प्रार्थना पत्रों का सुनवाई / निस्तारण
2. लम्बित / नए पूर्वाभाषी जमानत प्रार्थना पत्रों का सुनवाई / निस्तारण
3. प्रकीर्ण आवश्यक फौजदारी प्रार्थना पत्रों का सुनवाई / निस्तारण
4. आवश्यक दीवानी प्रकृति के प्रार्थना पत्रों जैसे कि निषेधाज्ञा के मामलों, का सुनवाई / निस्तारण।

प्रतीयमान न्यायालय (Virtual Court) सं0 1

क्र0सं0	पीठासीन अधिकारी का नाम	वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई हेतु आवंटित टाइम स्लाट
1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	10.30 ए0एम0 से 12.00 बजे तक
2.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1	12.00 बजे से 1.00 पी0एम0
3	स्पेशल जज पाक्सो एक्ट	1.00 पी0एम0 से 2.00 पी0एम0
4.	स्पेशल जज एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट	2.00 पी0एम0 से 2.30 पी0एम0
5.	स्पेशल जज ई0सी0 एक्ट	2.30 पी0एम0 से 3.00 पी0एम0
6.	स्पेशल जज एन0डी0पी0एस0 एक्ट, कोर्ट सं0 8	3.00 पी0एम0 से 3.30 पी0एम0
7.	स्पेशल जज एन0डी0पी0एस0 एक्ट, कोर्ट सं0 22	3.30 पी0एम0 से 4.00 पी0एम0

प्रतीयमान न्यायालय (Virtual Court) सं0 2

क्र0सं0	पीठासीन अधिकारी का नाम	वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई हेतु आवंटित टाइम स्लाट
1.	विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट	10.30 ए0एम0 से 11.30 ए0एम0
2.	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट	11.30 ए0एम0 से 1.00 पी0एम0
3	स्पेशल सी0जे0एम0	1.00 पी0एम0 से 2.00 पी0एम0
4.	सिविल जज (सी0डि0)	2.00 पी0एम0 से 3.00 पी0एम0
5	सिविल जज (जू0 डि0)	3.00 पी0एम0 से 4.00 पी0एम0

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी जो आवंटित टाइम स्लाट के अन्तर्गत वीडियो कांफ्रेसिंग वर्चुअल कोर्ट के माध्यम आवश्यक जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर रहा होगा उसके आवास के कार्यालय मे उसके न्यायालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी लिपिक अभिलेखों के साथ उपस्थित रहेगा, साथ ही साथ कम्प्यूटर / इंटरनेट की जानकारी रखने वाला दूसरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी या अधिकारी उपस्थित रहेगा जिससे कि उसे आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई मे

कोई असुविधा न हो। इसी प्रकार राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर पर वर्चुअल कोर्ट नं0 1 व 2 अनवरत ढंग से संचालित होती रहे, इस निमित्त वहां पर नोडल आफीसर [illegible] अथवा [illegible] कम्प्यूटर अथवा कोई ऐसे एक या दो अधिकारी लगातार बने रहेंगे जिन्हे नेट व कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी हो। राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर पर आवश्यक प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने हेतु वहां तृतीय श्रेणी कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जरूरत के अनुसार उपस्थित रहेंगे और वहां से दिए गए आवश्यक प्रार्थना पत्रों को सिविल कोर्ट मे कम्प्यूटर अनुभाग को प्राप्त करायेंगे जहां आगे की कार्यवाही की जाएगी। कम्प्यूटर अनुभाग मे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु बनायी गयी समिति के न्यायिक अधिकारियों मे से एक या दो अधिकारी उपस्थित रहेंगे जिससे कि ई–मेल के माध्यम से दिए जा रहे आवश्यक प्रार्थना पत्रों की हार्ड कापी निकाल कर उसके पश्चात जो कार्यवाही की जानी है, वह कार्यवाही प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। प्रभारी अधिकारी नजारत यह सुनिश्चित करेंगे कि सिविल कोर्ट, कानपुर नगर का सैनेटाइजेशन व साफ सफाई हो जाये।

आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा समस्त सम्बन्धित अधिकारी सूचित हों। आदेश की सूचना बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर के अध्यक्ष/महामंत्रीगण को भेजी जाए।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर